रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 352] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 23, 1996/कार्तिक 1, 1918
No. 352] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 1996/KARTIKA 1, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1996

सं. 81/96-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 490 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 104/95-सीमाशुल्क, तारीख 30 मई, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की शर्त (2) के प्रथम परन्तुक में, "कलकत्ता" शब्द के स्थान पर "कलकत्ता (जिसके अन्तर्गत पैट्रापोल स्थित भूमि शुल्क स्टेशन भी है)", शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 605/296/96-डी. बी. के.]
ए. के. मदान, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा. का. नि. 474 (अ), तारीख 30 मई, 1995 के तहत प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 703 (अ), तारीख 27 अक्तूबर, 1995 के तहत संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 1996

No. 81/96-Customs

G. S. R. 490 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 104/95-Customs dated the 30th May, 1995, namely:—

In the said notification, in condition (2), in the first proviso, for the word "Calcutta" the words and brackets " Calcutta (including the Land Customs Station at Petrapole) ", shall be substituted.

[F. No. 605/296/96-D.B.K.]
A. K. MADAN, Under Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India vide G. S. R. 474 (E) dated the 30th May, 1995 as amended vide G. S. R. 703 (E) dated the 27th October, 1995.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996